भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES — पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA — COURT FEE TWENTY RUPEES

350

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /२०१६ निगरानी निग-3528-2016

दिनाँक 6.10.16 को
श्रम० के० अभिभाषक
द्वारा प्रस्तुत
6.10.16

महेन्द्र कुमार चौरसिया पुत्र जमुनाप्रसाद चौरसिया
निवासी वार्ड नम्बर १६, सावरकर चौक, गंजबासौदा,
तहसील गंज बासौदा जिला विदिशा-म०प्र० ।

------ प्रार्थी

विरुध्द

१- रोहित मवसार पुत्र रमेश चन्द्र मवसार,
निवासी बूढ़ापुरा, गंज बासौदा, तहसील
गंज बासौदा जिला विदिशा-म०प्र०

२- मध्यप्रदेश शासन

------ प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी विरुध्द आदेश एस०डी० ओ० बासौदा जिला विदिशा
दिनांक ३-०८-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९।
प्र०क्र० ३५/१४-१५ अपील ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

२- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा है ।

202
06.10.16

३- यह कि, प्रार्थी ने एस०डी०ओ० महोदय के न्यायालय में समयावधि के सम्बन्ध में प्रस्तुत आवेदन पत्र का विस्तृत उत्तर शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है । प्रार्थी के उत्तर का उल्लेख विवादित आदेश के पद क्रमांक २ में किया गया है, किन्तु उत्तर में प्रस्तुत एवं पद क्रमांक-२ में अंकित आपत्तियों पर न तो कोई विचार ही किया गया है और न उनका निराकरण ही किया गया है । ऐसी स्थिति में पारित विवादित आदेश निरस्ती योग्य है ।

४- यह कि, मात्र हितबध्द पक्षकार होने के आधार पर किसी व्यक्ति

XXIX(a)-BR(H)-11

(350)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3528-एक/16 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	